UPRN120008842019

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) भोगनीपुर/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।

परिवाद सं०–627/2019

अकील अहमद बनाम श्रीमती ममता त्रिपाठी।

धारा–138 एन०आई एक्ट

थाना– भोगनीपुर, कानपुर देहात।

दिनांक 16.02.2021

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि सन 2017 में विज्ञापन में माध्यम के प्रचार–प्रसार के द्वारा कि माही कालेज आफ टेक्नोलाजी इटावा में मेडिकल क्षेत्र के विभिन्न कोर्सों में देश के नामी कालेजों में मैनेजमेन्ट सेल्फकोटे से बिना डोनेशन प्रवेश दिलवाता है। प्रार्थी को जानकारी हुई और दौरान प्रार्थी से प्रतिवादीगण से फोन पर वार्ता हुई तो कुछ दिनों बाद प्रतिवादीगण प्रार्थी के क्लीनिक पर आये और प्रार्थी को विश्वास में लेकर BUMS प्रवेश के नाम पर 2 लाख नकद ले गये तथा 1,40,000/रु० अलग कई बार में ले गये। जब प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थी से रुपया 3,40,000/ प्राप्त करने के बाद भी बहुत दिनों तक प्रवेश नहीं दिलवाया गया तो प्रार्थी द्वारा अपने दिये गये रुपये को वापस करने की बात कही गयी तो उपरोक्त प्रतिवादीगण ने पहले टाल–मटोल की और बाद दि०–27/07/2019 को 3,40,000/ रु० की एक चेक प्रार्थी के नाम पर काटकर दे दी जो कि प्रार्थी ने अपने खाता सं०–92322206196 सिंडिकेट बैंक शाखा पुखरायां कानपुर देहात में लगायी तो अपर्याप्त धन के कारण उक्त चेक अनादरित हो गयी। इसकी जानकारी प्रतिवादीगण को दी गयी तो पुनः प्रतिवादीगण द्वारा आश्वासन दिया गया कि अब इसको सितम्बर माह लगाकर पेमेन्ट करा लो। प्रार्थी ने पुनः उक्त चेक अपने खाता में लगायी तो दिनाँक 12.09.2019 को पुनः चेक अपर्याप्त धन के कारण अनादरित होकर प्रार्थी को प्राप्त हुई। विपक्षीगण के उक्त कृत्य के पश्चात परिवादी दि०–24/09/2019 को अपने एडवोकेट के जरिये विपक्षीगण को एक विधिक नोटिस भेजा ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने धारा 200 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अपना साक्ष्य शपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मूल चेक, सिंडिकेट बैंक की रिटर्न मेमों दि०–12.09.2019 की मूलप्रति, लीगल नोटिसे मय रजिस्ट्री रसीद दि०– 24/09/2019 व स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल की है।

परिवाद पत्र में किये गये अभिकथनों के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य प्रलेखों, मूल चेक, लीगल नोटिस जो विधिक रूप से समय सीमा के अन्दर दिये गये हैं, के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विपक्षीगण को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**आदेश**

अभियुक्तगण श्रीमती ममता त्रिपाठी व वेद प्रकाश त्रिपाठी को धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत प्रसंज्ञानित करते हुये आहूत किया जाता है। बाद पैरवी सम्मन जारी हो हाजिरी अभियुक्तगण हेतु दिनांक 15.03.2021 नियत की जाती है।

सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात
J.O Code U.P 02625